दिनांक-25

वकील गवाह एवं गवाह अनुपस्थित।
गैर हाजरी का कारण पश्चात्ती
है बार बार अवसर लगाकर गवाह
उपस्थित नहीं है गवाह द्वारा अभियोग
की तामीली नहीं कराई गई है प्रतिवादी
अधम हाजरी अधम मेहली में सम्मिलित
की जाती है मामले की सुनवाई
से काम होगा फरवरी पश्चात
दिनांक अग्रिम लगाया जाए।